



Delhi Legislative Assembly

Winter Session

7th Jan, 2026

True [Art, Culture & Language - Cooperative - Election - Environment Forest & Wild life - Finance - Food & Supplies - Gurudwara Elections - Information and Publicity - Planning - Tourism - Urban Development - DUSIB - Excise - Trade and Tax and Food Safety].

Total Question - 20

दिल्ली में प्रदूषण

*21 Mr. Karnail Singh (Shakur Basti):

Environment Forest & Wild life :-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माने जाने वाले यातायात जाम और अवरोधों को नियंत्रित करने और उनका समाधान करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुल कितने स्प्रेडर वाहन/ट्रक तैनात हैं और वे किन मार्गों पर चलते हैं, उन वाहनों के पंजीकरण नम्बर प्रदान करें; और

(ग) उन स्प्रेडर वाहनों को कौन अधिकारी मॉनिटर करता है, उनका नाम, पद और

मोबाइल नम्बर प्रदान करें?

सहकारी संस्थाओं में नई भर्तियाँ — विवरण और पारदर्शिता

***22 Sh. Chaudhary Zubair Ahmad (Seelampur):**

Cooperative :-

क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक, DCHFC और अन्य RCS अधीन संस्थाओं में कितनी नई भर्तियाँ हुईं;

(ख) प्रत्येक संस्थान के लिए पदों के नाम, विज्ञापन तिथि, भर्ती एजेंसी, कितने नियुक्त हुए और चयनित उम्मीदवारों की सूची (नाम, पिता/पति का नाम, पता, अंक) प्रस्तुत करें;

(ग) कुल आवेदन शुल्क कितना जमा हुआ और इसका उपयोग कैसे हुआ;

(घ) क्या कुछ भर्ती प्रक्रियाएँ निजी एजेंसियों द्वारा संचालित की गईं;

(ङ.) यदि हाँ, तो चयन मानदंड और मेरिट सूची की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय क्या थे;

(च) क्या 2025 में भर्ती में अनियमितताओं या पक्षपात की शिकायतें/नोटिस मिलीं; और

(छ) यदि हाँ, तो जांच की स्थिति क्या है?

Tourism

***23 Sh. Jitender Mahajan (Rohtas Nagar):**

Tourism :-

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नत्थू कॉलोनी चौक पर वर्ष 2015 में पर्यटन विभाग द्वारा एक फ्लाईओवर तथा अंडरपास बनाया गया था, जोकि निर्माण के 6 महीने बाद ही भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था और पर्यटन विभाग व लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही न करने पर स्थानीय विधायक द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 3 महीने के भीतर इस विषय

पर ठोस कार्यवाही करने का आदेश दिया था तथा स्थानीय विधायक को विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही गई थी और कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विजिलेंस इन्क्वायरी की भी घोषणा की थी;

(ग) तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा गठित विजिलेंस इन्क्वायरी की रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए और ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराई जाए; और

(घ) नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर को भारी वाहनों के लिए खोलने के लिए और फ्लाईओवर व अंडरपास की त्रुटियों को दूर करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी तथा भारी वाहनों के लिए फ्लाईओवर खोलने की समय सीमा लिखित में उपलब्ध कराई जाए?

वन

***24 Sh. Parduyrn Singh Rajput (Dwarka):**

Environment Forest & Wild life :-

क्या माननीय वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्वारका विधानसभा के अंतर्गत वन विभाग की कौन-कौन सी भूमि है;

(ख) यह भूमि किस-किस स्थान पर स्थित है और कितने कितने वर्ग मीटर की है; और

(ग) वन विभाग की इन भूमि पर वर्ष 2017 अप्रैल से वर्ष 2025 मार्च तक इनके रखरखाव या मेंटेनेंस के लिए वन विभाग ने कितनी राशि खर्च की है और किस-किस कार्य के लिए की है, इसका विवरण उपलब्ध कराया जाए?

शहरी विकास

***25 Mr. Ashok Goel (Model Town):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृपया वार्ड संख्या नंबर- 67, 68, 69 में दिल्ली नगर निगम और PWD के द्वारा शुल्क लेकर विज्ञापन के लिए लगाए सभी पोल, यूनिपोल अन्य सभी तरह के विज्ञापन माध्यम, लोकेशन और पूरे पते के साथ वार्ड अनुसार सूची प्रदान करें?

दिल्ली रेहड़ी पटरी के विषय में

***26 श्री मनोज कुमार शौकीन (नांगलोई जाट):**

शहरी विकास :-

क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2007 में एमसीडी द्वारा दिल्ली के रेहड़ी-पटरी / फेरी लगाने वाले नागरिकों से ₹ 100 की पर्ची शुल्क के रूप में राशि ली गई थी, परंतु आज तक उन्हें विधिवत तहबाजारी (लाइसेंस) प्रदान नहीं की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे सभी पात्र रेहड़ी-पटरी वालों को तहबाजारी प्रदान कर नियमित करने का विचार कर रही है, जिससे एक ओर सरकार को राजस्व प्राप्त हो और दूसरी ओर रेहड़ी-पटरी वालों को सुरक्षा मिले;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पिछली सरकार के दौरान गठित टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) — जो कि 12 जोन एमसीडी, एनडीएमसी एवं दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए बनाई गई थी — का कार्यकाल 5 वर्ष का था, जबकि वर्तमान में उसे 11 वर्ष से अधिक समय हो चुका है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पुरानी टिवीसी कमेटियों को भंग कर नई टिवीसी का गठन करने का प्रस्ताव रखती है, ताकि दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को नियंत्रित किया जा सके और स्ट्रीट वेंडिंग को व्यवस्थित किया जा सके ?

शहरी विकास

***27 Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यह सत्य है कि पंजाब से विस्थापित हिंदू परिवारों में से लगभग 15 परिवारों को ही अभी तक आवासों का आवंटन किया गया है, शेष को अभी तक आवास-आवंटन नहीं किया गया है;

ख) क्या यह भी सत्य है कि आवंटन में विलंब डीयूएसआईबी और दिल्ली नगर निगम के बीच अंतरविभागीय निर्देश हीनता के कारण हो रहा है; और

ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रैनबसेरों

***28 Sh. Satish Upadhyay (Malviya Nagar):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में चल रहे रैनबसेरों की कुल संख्या, उनके स्थानों की जानकारी, पते सहित विवरण प्रदान करें;
- (ख) रैनबसेरों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या व उनकी भर्ती के लिए पात्रता मानदंड;
- (ग) अटल कैंटीनों का संचालन सीधे डीयूएसआईबी के द्वारा ही किया जा रहा है अथवा इन्हें गैरसरकारी संगठन/निजी एजेंसियां चला रही हैं, संपूर्ण जानकारी दें;
- (घ) अटल कैंटीन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रति प्लेट अथवा प्रति लाभान्वित कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है; और
- (ङ) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र सहित सभी अटल कैंटीनों में भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता व पोषण-मानकों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए निरीक्षण तंत्र का विवरण क्या है?

एमसीडी-सफाई कर्मचारी

***29 Sh. Pravesh Ratn (Patel Nagar):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पटेल नगर विधानसभा में कुल कितने सफाई कर्मचारी तैनात हैं, वार्डवार जानकारी दी जाये;
- (ख) इनमें से कितने स्थायी (पक्के) और कितने अस्थायी/ठेके पर हैं;
- (ग) क्या यह सत्य है कि क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की कमी है;
- (घ) क्या सफाई कर्मचारियों को पूरा वेतन और सुरक्षा उपकरण मिल रहे हैं; और
- (ङ) कूड़ा उठाने में निजी ठेकेदारों की क्या भूमिका है और क्या इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं?

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड

***30 Sh. Umang Bajaj (Rajendra Nagar):**

DUSIB :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा वर्ष 2016 अप्रैल से वर्ष 2025 मार्च तक क्या-क्या कार्य किए गए हैं; और

(ख) इसमें किस-किस कार्य के लिए किस-किस एजेंसी को कितना-कितना भुगतान किया गया है, इसका विवरण उपलब्ध कराया जाए?

दिल्ली नगर निगम (MCD) पार्किंग व्यवस्था

***31 Sh. Neeraj Basoya (Kasturba Nagar):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में एमसीडी द्वारा संचालित/अनुमोदित सभी पार्किंग स्थलों का विवरण-स्थान, पार्किंग क्षमता, वाहन श्रेणीवार दर सूची, राजस्व-साझेदारी की शर्तें, ठेका आरंभ तिथि एवं समाप्ति तिथि क्या है;

(ख) कोटला मुबारकपुर स्थित भीष्म पितामह मार्ग पर स्थापित पार्किंग, जिसे अस्थायी व्यवस्था के रूप में प्रारंभ किया गया था, की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उक्त स्थान पर पार्किंग शुरू होने से पूर्व की स्थिति क्या थी;

(ग) क्या यह सत्य है कि भीष्म पितामह मार्ग पर उक्त पार्किंग के कारण यातायात के सुचारु संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है, और क्या इस संबंध में दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा एमसीडी को कोई शिकायत/आपत्ति दर्ज कराई गई है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ मामलों में पार्किंग ठेकेदारों द्वारा निजी संपत्ति मालिकों को नकद राशि लेकर एमसीडी पार्किंग आवंटित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हाँ, तो ऐसी शिकायतों की संख्या, विवरण तथा उन पर की गई कार्रवाई क्या है;

(छ) क्या उपर्युक्त मामलों में कोई जांच कराई गई है;

(ज) यदि हाँ, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(झ) यदि नहीं, तो एमसीडी द्वारा कब तक जांच एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी?

REGARDING BUDGET OF UNAUTHORISED COLONIES

***32 Smt. Neelam Pahalwan (Najafgarh):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नजफ़गढ़ विधानसभा की जो कॉलोनियाँ GSDL MAP में नहीं है उन कॉलोनियों में विकास कार्य हेतु सरकार की क्या नीतियाँ हैं तथा विकास कार्यों के लिए बजट कब तक प्रदान किया जाएगा;

(ख) नजफ़गढ़ की UNAUTHORISED कॉलोनियों में क्या-क्या विकास कार्य किए गए हैं, चल रहे हैं तथा प्रस्तावित हैं ? विस्तृत जानकारी प्रदान करें; और

(ग) जिन कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं , वहाँ विकास कार्य कब तक शुरू होंगे व विकास कार्य कब तक संभव हैं ? तथा सरकार की क्या नीतियाँ हैं?

पार्कों एवं हरित क्षेत्रों में संचालित पार्किंग, बिना NOC स्वीकृत कार्यों तथा विभागीय पत्र पर की गई कार्रवाई से संबंधित सूचना प्रदान किए जाने के संबंध में।

***33 Sh. Vishesh Ravi (Karol Bagh):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 2025 के बाद से शहरी विकास विभाग द्वारा पूरी दिल्ली में सभी विधान-सभाओं में कितने कामों की मंजूरी भूमि स्वामित्व एजेंसी से बिना NOC लिए दी हैं, विधान-सभा वाइज पूर्ण जानकारी प्रदान करें;

(ख) क्या यह सत्य है दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले पार्कों में नगर निगम के आर पी सेल द्वारा ऑथराइज्ड पार्किंग चलाई जा रही है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे सभी पार्कों का पूर्ण विवरण प्रदान करें ;

(घ) क्या यह सत्य है कि पार्क एवं हरित क्षेत्र में पार्किंग चलाना गैर-कानूनी है;

(ङ.) यदि हां, तो पार्क एवं हरित क्षेत्र में चलने वाली सभी पार्किंग कब तक बंद कर दी जाएगी, इसकी पार्क वाइज जानकारी प्रदान करें; और

(च) अधोहस्ताक्षरी द्वारा शहरी विकास विभाग को पत्र संख्या नं. 130134/30/10/2025 दिनांक — 30/10/2025 पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई, कृपया पूर्ण विवरण प्रदान करें?

सूचना एवं प्रचार

***34 Sh. Prem Chauhan (Deoli):**

Information and Publicity :-

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) रा.रा.क्षे.सरकार द्वारा सभी विभागों/निकायों के लिए, विशेषकर सूचना एवं प्रचार निदेशालय (डीआईपी), दिल्ली टूरिज़्म एंड ट्रांस्पोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीटीटीडीसी), दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी), दिल्ली जलबोर्ड दिल्ली ट्रांस्को/पावर विभाग, शिक्षा विभाग व स्वास्थ्य विभाग, किए गए विज्ञापन व प्रचार पर किए गए कुल व्यय का विभागों/स्वायत्तशासी निकाय वार वर्गीकृत विवरण प्रदान करें;

ख) ऊपर दर्शाए गए व्यय के संदर्भ में विभिन्न प्लेटफॉर्मों - जैसे, टेलीविजन (चैनल का नाम व स्पॉट की कुल अवधि/लागत), रेडियो (स्टेशन का नाम व लागत), समाचारपत्र (प्रकाशन स्थानीय/राष्ट्रीय का नाम वर्ग सेंटीमटरों में कुल स्थान व लागत), आउटडोर मीडिया (बिलबोर्ड/होर्डिंग पर कुल खर्च), बस क्यू शेल्टर तथा मेट्रो रेल ब्रांडिंग (ट्रेन रैप/स्टेशन एड), डिजिटल/सोशल मीडिया (यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स पर किए गए विज्ञापन) - पर किए गए खर्च का मीडियावार वर्गीकृत विवरण प्रदान करें;

ग) क्या यह सत्य है कि विज्ञापन रा.रा.क्षे.दिल्ली के बाहर अर्थात् अन्य राज्यों में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों में जारी किए गए;

घ) यदि हां, तो ऐसे बाहर के विज्ञापनों पर कितना व्यय हुआ और इनका क्या प्रशासनिक औचित्य (justification) है;

ङ) इस अवधि के दौरान पैनल की सभी विज्ञापन एजेंसियों व अन्य अनुबंधित एजेंसियों की सूची व इन्हें भुगतान की गई कुल कमीशन अथवा सेवाशुल्क;

च) विशेषरूप से मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के फोटोग्राफ वाले विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय हुआ और क्या यह सरकारी विज्ञापनों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप है; और

छ) वित्त विभाग के बजट सेंक्शन आदेशों व उन फाइल नोटिंग्स की प्रतियां उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर प्रचार के लिए मूल बजट अनुमानों के अतिरिक्त और राशि जारी की गई?

To Remove Encroachment on the Nallah/Drain

***35 Smt. Shikha Roy (Greater Kailash):**

Urban Development क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क) क्या यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन बनाम रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विषय में दिनांक 20/10/2023 की रिट याचिका (सिविल) 14313/2022 पर दिल्ली नगर निगम ने कोई कार्रवाई की है;

ख) यदि हां, तो उसका विवरण दें; और

ग) यदि नहीं तो क्यों?

राशन कार्ड

***36 Sh. Sanjay Goyal (Shahdara):**

Food & Supplies :-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में राशन कार्ड प्रचलित हैं योजनावार (AAY, BPL, NFSA/सामान्य) कुल राशन कार्डों की संख्या उपलब्ध कराएँ;

(ख) क्या सरकार द्वारा यह जाँच की जाती है कि AAY/BPL श्रेणी के लाभार्थी अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं या नहीं;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी जाँच कितनी अवधि में एवं कब-कब की जाती है;

(घ) पिछले 10 वर्षों में शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड धारकों को AAY/BPL श्रेणी से हटाकर सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित किया गया है वर्षवार विवरण सहित;

(ङ) क्या सरकार की भविष्य में भी नए AAY/BPL राशन कार्ड जारी करने की कोई योजना है;

(च) यदि हाँ, तो वह योजना कब से और किन शर्तों पर लागू की जाएगी;

(छ) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितने राशन कार्ड आवेदन लंबित हैं और उनके लंबित रहने के कारण क्या हैं;

(ज) क्या यह सत्य है कि कई मामलों में राशन कार्ड बन जाने के बावजूद लाभार्थियों को अभी तक राशन मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है;

(झ) यदि हाँ, तो ऐसे मामलों की संख्या एवं कारण क्या हैं;

(ञ) राशन कार्ड जारी होने में हो रही अत्यधिक देरी के कारण क्या हैं और सरकार इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु क्या ठोस कदम उठा रही है;

(ट) क्या यह भी सत्य है कि राशन कार्ड आवेदन अस्वीकृत (Reject) होने के बाद भी संबंधित आधार कार्ड विवरण पोर्टल से स्वतः हटता नहीं है, जिससे लाभार्थियों को पुनः आवेदन में कठिनाई होती है; और

(ठ) यदि हां, तो आधार विवरण को स्वतः हटाने (Auto-Deletion) की वर्तमान प्रक्रिया क्या है और सरकार इसे और अधिक सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में ऋण निपटान, भर्तियाँ, वित्तीय व्यय, ऑडिट एवं प्रशासनिक पारदर्शिता से संबंधित विवरण

***37 Mr. Sanjeev Jha (Burari):**

Cooperative :-

क्या माननीय सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम के तहत कितने लोन का सेटलमेंट किया गया सभी की जानकारी संपूर्ण दी जाए एवं सूची प्रदान की जाए;

(ख) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक विगत 5 वर्षों में कितनी भर्तियाँ की गई सभी भर्तियाँ की संपूर्ण प्रक्रिया जो अपनी गई जैसे आईसीएस की अनुमति, आरबीआई की अनुमति, न्यूजपेपर में विज्ञापन, आवेदन किए गए सभी आवेदन पत्र की कॉपी, उनका लिया गया टेस्ट एवं इंटरव्यू के विवरण सहित पूर्ण फाइल की सत्यापित कॉपी दें उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए;

(ग) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में 2020 से लेकर जवाब देने तक सभी लीगल खर्चों की जानकारी प्रति मद के हिसाब से प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रति वकील के नाम के साथ दी जाए एवं सूची उपलब्ध कराई जाए;

(घ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक की सभी गाड़ियों की रखरखाव पर पेट्रोल में जो भी खर्च हुए हैं 2021 से लेकर जवाब देने तक विस्तृत जानकारी दी जाए एवं संबंधित सभी बिलों की खर्चों सूची प्रदान की जाए;

(ङ.) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक द्वारा 2021 से अभी तक कितने लोन सिक्वोर्ड दिए गए कितने लोन अनसिक्वोर्ड दिए गए हैं उनकी जानकारी विस्तृत रूप से सूची प्रदान करें;

(च) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में कितना डिपॉजिट आज की तारीख में है एवं NPA कितना है इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए;

(छ) दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में 2021 से जवाब देने तक कितने कर्मचारियों को रिटायर किया गया, किस-किस का पैसा बकाया है और किस-किस कर्मचारियों को कब-कब उसका रिटायरमेंट के बाद भुगतान किया गया इसकी सूची एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाए; और

(ज) वर्ष 2021 से अब तक आरसीएस द्वारा कराई गई ऑडिट एवं स्पेशल ऑडिट की कॉपी दें एवं विगत 5 वर्षों की आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी दें और आरबीआई द्वारा दिए गए एक्शनों पर क्या कार्रवाई की गई उसकी सूचना दी जाए एवं की गई कार्रवाई की कॉपी दी जाए?

शहरी आश्रय सुधार बोर्ड सार्वजनिक शौचालय

***38 Sh. Veer Singh Dhangra (Seema Puri):**

Urban Development :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पुनर्वास कॉलोनीयों में सार्वजनिक शौचालय चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो सीमापुरी विधानसभा की सीमापुरी, सुंदर नगरी व नंद नगरी में विभाग के कुल कितने शौचालय कहां-कहां पर हैं पूर्ण जानकारी दी जाए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विभाग ने सार्वजनिक शौचालय के रखरखाव का कार्य किसी निजी संस्था को दिया हुआ है;

(घ) यदि हां, तो किस-किस संस्थाओं को शौचालयों के रखरखाव की क्या-क्या जिम्मेदारी दी है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा की पुनर्वास कॉलोनी के शौचालयों में हमेशा गंदगी रहती है तथा रखरखाव पूरी तरह से बंद से बंदतर है;

(च) यदि हां, तो क्या विभाग का शौचालयों के रखरखाव का कार्य किसी और संस्थाओं को देने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो कब तक; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में ई-कबाड़ से संबंधित शिकायतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

***39 Sh. Mohan Singh Bisht (Mustafabad):**

Environment Forest & Wild life :-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में ई-कबाड़ से संबंधित शिकायतें दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि मुस्तफाबाद में बहुतायत के रूप में ई-कबाड़ से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हो रहा है;

(ग) यदि हां तो पर्यावरण विभाग द्वारा अभी तक उपरोक्त संदर्भ में की गई कार्रवाई का पूर्ण विवरण दें;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि ई-कबाड़ को जलाने से पिछले दिनों में लोगों का इन क्षेत्रों से पलायन आज तक जारी है,

(ङ.) उनको रोकने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(च) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

New Ration Card

***40 Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar):**

Food & Supplies :-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल कितने राशन कार्ड धारक हैं;

(ख) पिछले 10 वर्षों में कितने राशनकार्ड धारक इस विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर चले गये हैं या उनकी मृत्यु हो गयी है;

(ग) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में इस समय नये राशन कार्ड बनाने के लिए कितनी रिक्तियां हैं;

(घ) नये राशन कार्ड बनाने के लिए त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र में जिन लोगों ने नये राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया हुआ है, उनको नये राशन कार्ड कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?



Delhi Legislative Assembly

Winter Session

Questions For Oral UnStart Answer

7th Jan, 2026

True [Art, Culture & Language - Cooperative - Election - Environment Forest & Wild life - Finance - Food & Supplies - Gurudwara Elections - Information and Publicity - Planning - Tourism - Urban Development - DUSIB - Excise - Trade and Tax and Food Safety].

Total Question - 63

Archives

111 Sh. Jitender Mahajan (Rohtas Nagar):

Art, Culture & Language क्या माननीय कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) दिल्ली अभिलेखागार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक कितने रिकार्ड या अभिलेख दिल्ली सरकार या अन्य संस्थाओं से लिए गए; (ख) अब तक कितने अभिलेखों का डिजिटलाइज कर दिए गया है, इनको डिजिटलाइज करने में कितना पैसा खर्च किया जा चुका है; (ग) इन अभिलेखों को आम जनता द्वारा सुगमता से हासिल करने के लिए क्या जानकारी उपलब्ध कराई गई है; (घ) क्या इन अभिलेखों को देखने पर आम जनता तक जानकारी देने के लिए कोई विज्ञापन दिया गया है;

(ङ.) यदि हां, तो कितनी बार और इसपर कितना खर्च किया गया है; और (च) इन अभिलेखों की देख-रेख के लिए कितने लोगों की नियुक्ति की गई है, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पेय स्केल सहित जानकारी प्रदान करे?

कला, संस्कृति एवं भाषा

Art, Culture & Language:-

क्या माननीय कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 8 फरवरी 2025 से 28 दिसंबर 2025 तक पर्यटन विभाग, डीटीटीडीसी, कला, संस्कृति व भाषा विभाग, साहित्य कला परिषद और सभी राज्य भाषा अकादमियों द्वारा आयोजित, प्रायोजित सह- प्रायोजित उत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों व अन्य कार्यक्रमों की एक संपूर्ण सूची प्रदान करें, जिसमें कार्यक्रम का नाम, संबंधित विभाग/ अकादमी/एजेंसी का नाम, कार्यक्रम की तिथि व सटीक समय, आयोजन स्थल, जैसे सेंट्रल पार्क, मंडी हाउस, दिल्ली हाट, आदि भी बताएं;

(ख) उक्त कार्यक्रमों के संबंध में जारी कार्यादेश अथवा अनुबंध जिस एजेंसी/ईवेंट मैनेजमेंट कंपनी/वेंडर को जारी किए गए उनका नाम बताएं, यह भी बताएं कि इन वेंडरों को खुली निविदा के द्वारा चुना गया था अथवा किसी सीमित जांच प्रक्रिया के द्वारा चुना गया था;

(ग) उक्त कार्यक्रमों में से प्रत्येक पर किया गया कुल खर्च तथा कलाकारों को दी गई राशि, प्रस्तुतीकरण व बुनियादी ढांचे पर किया गया व्यय, प्रचार व विज्ञापन पर किया गया खर्च अलग-अलग भी सम्मिलित हो; और

(घ) निजी निकायों अथवा गैरसरकारी संगठनों द्वारा उक्त अवधि में आयोजित जिन कार्यक्रमों को सरकार द्वारा सह-प्रायोजित किया गया, उनमें दिल्ली सरकार द्वारा किए गए वित्तीय सहयोग की राशि, तथा इस प्रकार के सह-प्रायोजन के लिए जिन मानदंडों का प्रयोग किया गया, उनका विवरण भी दें ?

कला, संस्कृति एवं भाषा

Art, Culture & Language:-

क्या माननीय कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 में लाल किला पर व दिल्ली के अन्य स्थानों पर आयोजित गुरु तेगबहादुर जी की 350वीं जयंती समारोहों के लिए रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृति धनराशि और वास्तव में खर्च की गई धनराशि क्या थी;

(ख) विभाग व विभिन्न भाषा अकादमियों, विशेषकर पंजाबी अकादमी द्वारा आयोजित या

प्रायोजित इन सभी कार्यक्रमों, जैसे कीर्तन दरबार, लाइट एंड साउंड शो, सैमिनार आदि की सूची उनके आयोजन स्थलों सहित प्रदान करें;

(ग) लालकिला पर आयोजित कार्यक्रम के लिए अनुबंधित ईवेंट मैनेजमेंट एजेंसियों, कैटरिंग फर्मों व प्रोडक्शन हाउसों का संपूर्ण विवरण प्रदान करें, जिसमें प्रत्येक एजेंसी का नाम व पंजीकृत कार्यालय, उन एजेंसियों को सौंपा गया विशिष्ट कार्य जैसे मंच सज्जा, साउंड-लाइट, सीटिंग आदि का विवरण भी सम्मिलित हो;

(घ) प्रत्येक एजेंसी को दी गई या देने के लिए अनुबंधित राशि तथा क्या इन एजेंसियों का चयन खुली निविदा के आधार पर किया गया था या इन्हें सीमित टेंडरिंग/नामांकन के द्वारा चुना गया था;

(ङ) यदि चयन पद्धति खुली निविदा के आधार पर नहीं थी तो उसके लिए क्या प्रशासनिक औचित्य था;

(च) लालकिला पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो अथवा डिजिटल प्रदर्शनी की तकनीकी विशिष्टताओं की जानकारी दें, जिसमें प्रदर्शन (शो) की अवधि व किए गए प्रदर्शनों की संख्या सम्मिलित हो;

(छ) क्या यह सत्य है कि कुछ निजी संगठनों या धार्मिक निकायों को इन समारोहों के लिए सीधे सहायता अनुदान राशि दी गई, ऐसे सभी संगठनों का नाम और प्रत्येक को दी गई सहायता राशि की जानकारी दें;

(ज) 350वें जयंती समारोहों के संबंध में संपूर्ण फाइल नोटिंग्स, वित्त विभाग से वित्तीय अनुमोदन की प्रति उपलब्ध कराएं; और

(झ) विशेष रूप से गुरु तेगबहादुर जी की 350वीं जयंती समारोहों के लिए विज्ञापनों पर कुल कितना व्यय हुआ?

कला, संस्कृति एवं भाषा

114 Sh. Kuldeep Kumar (Kondli):

Art, Culture & Language:-

क्या माननीय कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 में कांवड़ यात्रा हेतु अस्थाई स्वागत द्वार बनाने, उनके रखरखाव व बाद में उन्हें हटाने पर पर्यटन तथा कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग अथवा विभाग के अधीन स्वायत्त संस्थाओं द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) रा.रा.क्षे.दिल्ली में इस प्रकार के कितने स्वागत द्वार लगाए गए और किन स्थानों

पर लगाए गए;

(ग) इन स्वागत द्वारों की संरचना व इन्हें लगाने के लिए उत्तरदायी एजेंसियों का संपूर्ण विवरण, जिसमें वेंडर का नाम व पंजीकृत कार्यालय, अनुबंध निविदा द्वारा दिया गया या नामांकन द्वारा, प्रत्येक एजेंसी को दी गई धनराशि भी सम्मिलित हो;

(घ) इन स्वागत द्वारों की तकनीकी विशिष्टताओं को दर्शाने वाले टेंडर दस्तावेजों तथा कार्यादेशों की प्रतियां भी प्रदान करें, जिनमें इन द्वारों में प्रयुक्त सामग्री, इनकी ऊंचाई व चौड़ाई, वायु-भार व संरचनात्मक स्थायित्व संबंधी सुरक्षा प्रमाणन का विवरण भी सम्मिलित हो;

(ङ) क्या यह सत्य है कि कुछ द्वारों का निर्माण ज्वलनशील सामग्री से किया गया था, यदि हां तो इनको लगाए जाने के पहले कैसा अग्नि-सुरक्षा ऑडिट किया गया था और अग्नि सुरक्षा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व किसका था;

(च) स्थाई द्वारों पर किए गए खर्च का क्या औचित्य है जबकि इस राशि का प्रयोग स्थाई बुनियादी संरचना सरकार के सुधार व तीर्थयात्रियों के भोजन व बाढ़ नियंत्रण पर किया जा सकता था; और

(छ) पर्यटन विभाग से इन स्वागत द्वारों के बजट और डिजाइन की मंजूरी से संबंधित सभी फाइल नोटिंग और पत्राचार की प्रतियां उपलब्ध कराये ?

कला, संस्कृति एवं भाषा

115 Dr. Ajay Dutt (Ambedkar Nagar):

Art, Culture & Language:-

क्या माननीय कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2025 में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीटीटीटीडीसी, एसकेपी, भाषा अकादमियों आदि सहित रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार के विभिन्न विभाग द्वारा आयोजित समारोहों, कार्यक्रमों की पूरी सूची प्रदान करें;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक कार्यक्रम का नाम व प्रकृति, दिन व समय, सटीक आयोजन स्थल, आयोजनकर्ता/ धनप्रदाता मूल विभाग व इनमें भाग लेने वाले/उपस्थित व्यक्तियों की अनुमानित अथवा वास्तविक संख्या;

(ग) क्या अगस्त 2025 में दिल्ली विधानसभा भवन परिसर में कोई विशेष सांस्कृतिक आयोजन आम जनता के लिए किया गया था, यदि हां तो प्रस्तुतियों (जैसे साहित्य कला परिषद के कार्यक्रम) की व आगंतुकों की संख्या;

(घ) दिल्ली सरकार के सभी विभागों में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए कुल कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था;

(ङ) इन समारोहों पर दिल्ली सरकार द्वारा जितना खर्चा किया गया उसका विस्तृत वर्गीकृत विवरण प्रदान करें, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों व कलाकारों का शुल्क, 'हर घर तिरंगा' अभियान पर होने वाला खर्च, झंडा वितरण के खर्च सहित;

(च) सरकारी भवनों व प्रमुख स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था पर किया गया व्यय तथा सुरक्षा व यातायात प्रबंधन पर होने वाला व्यय;

(छ) इन कार्यक्रमों के आयोजन या प्रबंधन के लिए बाहरी वेंडरों व एजेंसियों को दिए गए सभी अनुबंधों का विवरण, जिसमें प्रत्येक का नाम, उन्हें सौंपा गया कार्य व प्रत्येक को किए गए भुगतान की जानकारी सम्मिलित हो; और

(ज) 2025 के स्वतंत्रता दिवस आयोजनों के संबंध में संपूर्ण पत्राचार की व आवंटित व व्यय की गई राशियों से संबंधित सैंक्शन ऑर्डर्स की प्रतियां उपलब्ध कराएं?

झुग्गी— झोपड़ियों में अभी तक सरकार द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था

116 Mr. Karnail Singh (Shakur Basti):

Urban Development क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीमेंट साइडिंग क्षेत्र में बने हुए अस्थायी झुग्गी-झोपड़ियों में अभी तक सरकार द्वारा पीने का पानी उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था है और भविष्य में इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है, पूर्ण विवरण दें ?

शहरी विकास

117 Sh. Veer Singh Dhingan (Seema Puri):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सीमापुरी विधानसभा में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कुछ खाली जमीन पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो विधानसभा में कुल कितनी जमीन कहां-कहां खाली पड़ी है ब्लॉक वाइज जानकारी दी जाए;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा सीमापुरी विधानसभा में कुछ पार्किंग भी चलाई

जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र में कुल कितनी पार्किंग कहाँ-कहाँ चलाई जा रही हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य नहीं है कि पुनर्वास कॉलोनी में पार्किंग बनाने की अधिक आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो विभाग उक्त मुद्दे पर क्या कार्रवाई कर रहा है विस्तृत जानकारी दिलाई जाए?

कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत DUSIB शौचालयों के रख-रखाव, कर्मचारी प्रबंधन और सुरक्षा मानकों के संबंध में

118 Dr. Anil Goyal (Krishna Nagar):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृष्णा नगर विधानसभा में DUSIB के शौचालयों में वर्तमान में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ! और नियमानुसार कितने कर्मचारी होने चाहिए;

(ख) क्या इन शौचालयों में समय समय पर सफाई का पूरा समय उपलब्ध कराया जाता है;

(ग) क्या कोई निगरानी अधिकारी है और उनका कोई roster है ;

(घ) क्या वहाँ पर कर्मचारी का कोई ड्यूटी रोस्टर और Grievance Redressal का कोई नंबर लिखा है;

(ङ.) क्या सफाई कर्मचारियों को उनके सेफ्टी का सामान जैसे- गम बूट्स, ग्लोव्स आदि उपलब्ध कराए जाते हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) यदि हां, तो इनका फोटो सहित पूरा विवरण दे;

(छ) क्या कृष्णा नगर विधानसभा के शौचालयों में तैनात ठेकेदार की लापरवाही की कोई कम्प्लेंट आई है ; और

(ज) यदि हाँ तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है उसका विवरण दे?

DUSIB

119 Mr. Tilak Ram Gupta (Tri Nagar):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत डीयूएसआईबी द्वारा वर्ष 2024-2025 के दौरान किये गये सभी कार्य की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये; और

(ख) नये वर्ष 2025-2026 में जो कार्य चल रहे हैं, वे सुचारु रूप से किये जायें, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

डूसिब

120 Mr. Ashok Goel (Model Town):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले 5 सालों में डूसिब ने मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में स्थित विभिन्न झुग्गी कलस्टरों में क्या-क्या काम किया गया, पूर्ण विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के सभी कलस्टरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है; और

(ग) पिछले 5 वर्षों में पूरी दिल्ली के झुग्गी कलस्टरों के रखरखाव एवं विकास के लिए सरकार ने कुल कितने पैसे आवंटित किये और विभाग द्वारा कितने पैसे खर्च किये गये, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र अनुसार वर्षवार विवरण दें?

Election

121 Sh. Kailash Gangwal (Madipur):

Election:-

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के वोटर कार्ड रखने वाले लोगों की समस्या से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) दो-दो वोटर कार्ड की वजह से दो-दो राज्यों में सभी सुविधाएं ले रहे लोगों पर रोक लगाने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

निर्वाचन

122 Sh. Kailash Gangwal (Madipur):

Election:-

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिग्या अवैध शरणार्थी या घुसपैठियों से निपटने की सरकार की क्या कार्य योजना है;

(ख) जिस एजेन्सी या व्यक्तियों ने इनके आधार या वोटर कार्ड बनाये थे क्या उनपर क्या सख्त कार्रवाही करने की सरकार की कोई कार्य योजना है;

(ग) क्या सरकार अवैध शरणार्थियों के आधार कार्ड या वोटर कार्ड जब्त करेगी; और

(घ) अवैध घुसपैठियों से उत्पन्न समस्या के स्थाई समाधान हेतु क्या सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है?

मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में अधिकतर मतदाता जो अन्य जगह रहते हैं उनका भी पहचान पत्र चुनाव आयोग द्वारा बना दिया गया है

123 Sh. Mohan Singh Bisht (Mustafabad):

Election:-

क्या माननीय निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में अधिकतर मतदाता जो अन्य जगह रहते हैं क्या उनका भी पहचान पत्र चुनाव आयोग द्वारा बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि हांल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट को वैरिफाई किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो बीएलओ के रूप में वोटर लिस्ट को चेक करने तथा फर्जी नामों को काटने के लिए जिन बीएलओ को यह काम दिया जा रहा है क्या वह एक ही समाज से संबंध रखते हैं तथा वहां के निवासी भी नहीं है पूर्ण विवरण दें;

(ङ.) क्या बीएलओ नियुक्त करते समय उनकी जांच पड़ताल तथा संबंधित विधान सभा में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी जा रही है;

(च) क्या यह भी सत्य है कि पिछले दिनों के अन्तर्गत एसी-69 में जो गेस्ट टीचर इस कार्य

के लिए लगाए गए थे उनको भी वोट पंजीकरण में लगे होने के कारण मिमो दिए जा रह हैं; और

(छ) यदि हां, तो चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष कैसे रहेगी, पूर्ण विवरण दें?

पर्यावरण

124 Sh. Harish Khurana (Moti Nagar):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी 2014 से अब तक के दिल्ली के 'एक्यूआई' आंकड़े वर्षवार व महीनेवार आधार पर बताएं;

(ख) उक्त अवधि के लिए दिल्ली में सभी कंटीन्युअस एंबिएंट एयर क्वालिटी मॉनीटरिंग स्टेशनों द्वारा दर्ज किए गए के आंकड़े स्टेशनवार आधार पर प्रदान करें;

(ग) वर्ष 2014 से अब तक की, $PM_{2.5}$, PM_{10} , NO_2 , SO_2 , CO, O_3 , NH_3 , Pb प्रदूषकों के संबंध में, प्रदूषकवार वार्षिक औसत सघनता स्तर की जानकारी प्रदान करें;

(घ) वर्ष 2014 से अब तक एक्यूआई की 'गुड', 'सेटिस्फेक्टरी', 'मॉडरेट', 'पुअर', 'वैरी पुअर', सीविअर श्रेणी की जानकारी वर्षवार गणना उपलब्ध कराएं;

(ङ) वर्ष 2014 से अब तक डीपीसीसी/सीपीसीबी द्वारा दिल्ली के लिए वार्षिक वायु गुणवत्ता के प्रकाशित आंकड़ों की प्रति उपलब्ध कराएं;

(च) वर्ष 2014 के बाद से एक्यूआई मापने की पद्धति, निगरानी मानकों, निगरानी स्टेशनों की संख्या अथवा डेटा गणना पद्धति में यदि कोई बदलाव हुआ है तो उसकी जानकारी दें व बदलाव के क्रियान्वयन की तिथि भी बताएं;

(छ) वर्ष 2014 से अब तक की ज़ोन (नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल व एनसीआर) के आधार पर एक्यूआई औसत बताएं; और

(ज) वर्ष 2014 के बाद से उच्चतम प्रदूषण प्रकरणों का विवरण दें, जिसमें उच्चतम दर्ज एक्यूआई, तिथि व स्थान, प्रमुख प्रदूषकों की जानकारी सम्मिलित हो;

(झ) उक्त अवधि के लिए अनुपलब्ध आंकड़ों, बंद पड़े निगरानी स्टेशनों व इनकी अवधि व कारण भी बताएं; और

(ञ) उक्त अवधि के दौरान एक्यूआई रुझानों के आधार पर डीपीसीसी/सीपीसीबी द्वारा सुझाए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण प्रदान करें?

पर्यावरण

125 Sh. Harish Khurana (Moti Nagar):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2015 के बाद से दिल्ली सरकार द्वारा अब तक जारी की गई, लागू की गई प्रदूषण नियंत्रण/शमन योजनाएं, जिसमें 'ओड-इवन ट्रैफिक स्कीम', स्मॉग टावर्स, पराली जलाने हेतु बायो-डीकंपोजर और स्मॉग गन/वाटर स्पिंकलिंग, वायु प्रदूषण पर जागरूकता अभियान का भी विवरण हो, परंतु यह विवरण केवल इन योजनाओं तक ही सीमित न हो;

(ख) उक्त सभी प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं में से प्रत्येक के लिए आवंटित बजट व वास्तविक व्यय की गई राशि;

(ग) इन योजनाओं से संबंधित प्रयोग प्रमाणपत्र, कार्रवाई रिपोर्ट्स तथा मूल्यांकन/प्रभाव-निर्धारण रिपोर्ट (यदि कोई हों तो) की प्रतियां प्रदान करें;

(घ) वर्ष 2015 से अब तक उक्त सभी योजनाओं के लिए विज्ञापन व प्रचार पर किया गया योजनावार खर्च;

(ङ) उक्त विज्ञापन खर्च का मीडियावार (जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, आउटडोर होर्डिंग, रेडियो, सोशल मीडिया, आदि) विवरण तथा विज्ञापन एजेंसियों के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण विज्ञापन संबंधी अनुबंध की प्रतियां, सेंक्शन आर्डर, बिल/इनवॉइस की प्रतियां भी प्रदान करें;

(च) प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर वास्तविक खर्च व उन उपायों के विज्ञापन/प्रचार होने वाले खर्च का तुलनात्मक विश्लेषण प्रदान करें;

(छ) ऐसे सभी आंतरिक नोट्स, ऑडिट ऑब्जरवेशन, सीएजी रिमार्क अथवा विभागीय पत्राचारों की प्रतियां उपलब्ध कराएं जिनमें व्यय की गई राशि के प्रदूषण नियंत्रण के मूल बजट से अधिक होने पर चिंता व्यक्त की गई हो; और

(ज) पर्यावरण अथवा प्रदूषण नियंत्रण नीतियों पर किए जाने वाले विज्ञापन/प्रचार व्यय को नियंत्रित करने के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों,

नीतियों अथवा निदेशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं?

पर्यावरण

126 Sh. Sandeep Sehrawat (Matiala):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कितनी सरकारी वन भूमि (Forest Land) अधिसूचित है, क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध कराया जाए;

(ख) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएँ संचालित की जा रही हैं तथा उनका वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण क्या है;

(ग) क्या खरखरी नहर क्षेत्र में Forest City / Forest Park विकसित करने की कोई योजना प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण एवं कार्य प्रारंभ होने की संभावित तिथि क्या है?

पर्यावरण

127 Mr. Sanjeev Jha (Burari):

Environment Forest & Wild life:-

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) के परीक्षण किए गए;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कुल कितने ट्रायल किए गए तथा प्रत्येक ट्रायल पर हुआ कुल व्यय (राशि सहित) कितना रहा;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन क्लाउड सीडिंग परीक्षणों के परिणाम सरकार द्वारा घोषित अथवा अपेक्षित लक्ष्यों के अनुरूप नहीं रहे;

(घ) यदि हाँ, तो उनके परिणामों का विस्तृत विवरण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट उपलब्ध कराई

जाए;

(ड.) क्या यह सत्य है कि इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व अथवा इसके दौरान तत्कालीन पर्यावरण मंत्री द्वारा केंद्र सरकार एवं संबंधित केंद्रीय एजेंसियों से विशेषज्ञ राय मांगी गई थी;

(च) क्या यह सत्य है कि दिनांक 30.08.2024, 10.10.2024, 23.10.2024 एवं 19.11.2024 को केंद्र सरकार तथा संबंधित एजेंसियों जैसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को पत्र लिखे गए थे;

(छ) यदि हाँ, तो उन पत्रों एवं प्राप्त उत्तरों का विवरण दें;

(ज) क्या यह सत्य है कि प्राप्त विशेषज्ञ राय/रिपोर्टों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सर्दियों के मौसम में क्लाउड सीडिंग करना या तो संभव नहीं है अथवा उसका प्रभाव सीमित हो सकता है;

(झ) यदि हाँ, तो उन रिपोर्टों का विस्तृत सार उपलब्ध कराया जाए;

(ट) क्या दिल्ली सरकार द्वारा इन विशेषज्ञ रिपोर्टों एवं चेतावनियों का समुचित अध्ययन किया गया, अथवा इसके बावजूद क्लाउड सीडिंग के परीक्षण जारी रखे गए? विभागीय निर्णय प्रक्रिया का विवरण दिया जाए;

(ठ) क्या यह सत्य है कि विशेषज्ञों की राय की अनदेखी करते हुए इस योजना पर सरकारी धन व्यय किए जाने के कारण जनता के धन के संभावित दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न हुई;

(ड) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में विभागीय जांच या समीक्षा की गई है;

(ढ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ण) भविष्य में इस प्रकार के वैज्ञानिक अथवा तकनीकी परीक्षणों में विशेषज्ञ सलाह की अनदेखी न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या ठोस, पारदर्शी एवं जवाबदेह व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है?

दिल्ली में पर्यावरण संरक्षण हेतु पार्कों में पानी की उपलब्धा के संबंध में

128 Sh. Veer Singh Dhangra (Seema Puri):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सत्य है कि दिल्ली सरकार पर्यावरण सुरक्षा के कोई उपाय कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार इस दिशा में क्या-2 कदम उठा रही हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पानी की है;

(घ) यदि हाँ तो दिल्ली के छोटे बड़े पार्कों में पेड़ पौधों को उपयुक्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार ने इस दिशा में क्या-क्या कदम उठाए हैं, विस्तृत जानकारी दी जाए;

(ङ.) क्या यह सत्य है कि एन0जी0टी0 के आदेश के अनुसार ज़मीन से पानी निकालने पर रोक लगी हुई है; और

(च) यदि हाँ तो पार्कों आदि में लगे पेड़ पौधों व पार्कों में लगी घास को बिना पानी कैसे बचाया जाए, जानकारी दी जाए?

वन

129 Sh. Chandan Kumar Choudhary (Sangam Vihar):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यह सत्य है कि संगम विहार विधानसभा में प्रस्तावित पानी एवं सीवर लाइनों के विकास कार्य वन विभाग द्वारा अनुमति / एनओसी न दिए जाने के कारण लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वन विभाग द्वारा उक्त अनुमति अब तक न दिए जाने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या वन विभाग को इस तथ्य की जानकारी है कि अनुमति न मिलने के कारण क्षेत्र की बड़ी आबादी को पेयजल एवं सीवर व्यवस्था से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या वन विभाग संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में जनहित को ध्यान में रखते हुए संबंधित कार्यों के लिए शीघ्र अनुमति प्रदान करने पर विचार कर रहा है; और

(ङ.) यदि हाँ, तो उसकी समय-सीमा क्या है?

पर्यावरण

130 Sh. Mohan Singh Bisht (Mustafabad):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में पिछले दिनों गाड़ियों की जो बैटरी बनाई जा रही है उनसे ई-ब्लाक, नेहरू विहार के अन्तर्गत कोई विस्फोट हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि विस्फोट होने के बावजूद किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी;

(ग) यदि हां, तो ऐसे बैटरी/तेजाब के कार्य करने वाले लोगों पर एक्शन न लेने के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक इन पर कार्रवाई की जाएगी समय सीमा तय कर पूर्ण विवरण दें?

पर्यावरण

131 Sh. Kuldeep Kumar (Kondli):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग ने एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनीटरिंग स्टेशनों पर अथवा उनके आसपास जल छिड़काव को अधिकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्टेशनों के आसपास जल छिड़काव का निदेश देने वाला अधिकारी कौन है, नाम व पदनाम बताएं व एतद्संबंधी आदेश/निदेश की प्रति उपलब्ध कराएं;

(ग) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से कोई ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी अभिमत अथवा परामर्श है जिसमें यह बताया गया है कि सेंसर के समीप जल छिड़काव करने से नगर की भौगोलिक वायु गुणवत्ता का सटीक पता चलता है;

(घ) इन आरोपों पर विभाग की क्या प्रतिक्रिया है जिनके अनुसार इस प्रकार का सीमित छिड़काव इसलिए किया जा रहा है ताकि सेंसरों के आसपास स्वच्छ वायु का एक 'बबल' (बुलबुला) बनाकर चालाकी द्वारा कृत्रिम रूप से कम एक्यूआई का माप दर्ज कराया जा

सके, यह भी बताएं कि जनता के स्वास्थ्य संबंधी इन आंकड़ों के छेड़छाड़ के लिए कौन उत्तरदायी है;

(ड) वर्ष 2025 में दिल्ली के सभी 40 एक् यूआई स्टेशनों की परिचालनीय स्थिति का एक विस्तृत विवरण प्रदान करें, जिसमें 'सर्वोच्च प्रदूषण वाले महीनों, अर्थात् अक्टूबर से दिसंबर तक बंद रहे स्टेशनों की सूची तथा प्रत्येक स्टेशन (जैसे आनंद विहार, आरके पुरम अथवा जहांगीरपुरी) के बंद रहने की अवधि के घंटे व बंद रहने की तिथियां भी सम्मिलित हों;

(च) इन स्टेशनों के बंद होने के क्या तकनीकी कारण (जैसे रखरखाव हेतु, बिजली न होना या सेंसर में खराबी) रहे; और

(छ) इस प्रकार अत्यंत प्रदूषण वाले समय में इन स्टेशनों के बार-बार बंद होने के कारण क्या किसी निजी वेंडर के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो विवरण दें?

MONKEYS RELATED

132 Sh. Sanjay Goyal (Shahdara):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में बंदरों की बढ़ती संख्या से आम जनता को हो रही गंभीर समस्याओं (हमले, चोट, संपत्ति क्षति, दुर्घटनाएँ आदि) को देखते हुए उन्हें पकड़ने एवं सुरक्षित रूप से वन क्षेत्रों में स्थानांतरित (Relocation) करने के लिए सरकार की वर्तमान नीति/ योजना क्या है;

(ख) पिछले 5 वर्षों में दिल्ली सरकार द्वारा कुल कितने बंदरों को पकड़ा गया तथा उन्हें किन-किन वन क्षेत्रों/स्थानों पर स्थानांतरित किया गया कृपया वर्षवार एवं जिलावार विवरण प्रस्तुत किया जाए;

(ग) क्या बंदर पकड़ने हेतु सरकार के पास कोई स्थायी अथवा आउटसोर्स/अनुबंधित विशेष टीम उपलब्ध है;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसी टीमों की संख्या, उनकी तैनाती का क्षेत्र, जिम्मेदार एजेंसी एवं संपर्क विवरण क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो भविष्य में स्थायी व्यवस्था करने का क्या प्रस्ताव है और कब तक लागू किया जाएगा;

च) क्या यह सत्य है कि कई बार शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई न होने से जनता को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है;

(छ) यदि हाँ, तो शिकायत प्राप्त होने से कार्रवाई तक की समय-सीमा (SLA) क्या निर्धारित है और उसके उल्लंघन पर क्या दंडात्मक प्रावधान हैं;

(ज) क्या सरकार बंदरों की समस्या के स्थायी समाधान (जैसे नसबंदी, वैज्ञानिक पुनर्वास, फूड-सोर्स कंट्रोल, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान) हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना लागू कर रही है; और

(झ) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण दें?

पर्यावरण

133 Sh. Satish Upadhyay (Malviya Nagar):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 'पीयूसी नही तो-पेट्रोल नहीं' की नीति को ग्रेप-4 की अवधि के बाद भी, स्थाई रूप से जारी करने जा रही है, यदि हां तो पेट्रोल पंप द्वारा इसके अनुपालन हेतु क्या तंत्र बनाया जा रहा है;

(ख) पूरी दिल्ली में और विशेषकर मालवीयनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी 'स्मॉग गन्स' लगाई गई हैं, उनका स्थान सहित विवरण दें; और

(ग) दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिए जाने के लिए क्या विशिष्ट उपाय व प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं?

पर्यावरण

134 Dr. Anil Goyal (Krishna Nagar):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृष्णा नगर विधानसभा के विभिन्न रिहायशी क्षेत्रों में एसिड की फैक्ट्रियां, रंगाई की फैक्ट्रियां और लिथियम बैटरी बनाने जैसी खतरनाक श्रेणी की फैक्ट्रियां संचालित हैं;

(ख) यदि हाँ, इसका विवरण दें;

(ग) क्या कृष्णा नगर विधानसभा में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) या संबंधित विभाग द्वारा पिछले पांच वर्षों में ऐसी प्रदूषणकारी इकाइयों का कोई Survey किया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ङ.) उपरोक्त सर्वेक्षण में कितनी फैक्ट्रियां संचालित पाई गईं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है, कृपया पूर्ण विवरण दें;

(च) यदि अभी तक कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, तो विभाग द्वारा इन रिहायशी क्षेत्रों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सर्वेक्षण करने की क्या समय-सीमा और योजना है;

(छ) कृष्णा नगर विधानसभा में चल रही फैक्ट्रियों में कितनों का कलंदरा बनाया गया है; और

(ज) क्या पिछले 5 वर्षों में कृष्णा नगर विधानसभा के रिहायशी क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों, को DPCC द्वारा कितने नोटिस या चालान किया गया है?

पर्यावरण

135 Sh. Vishesh Ravi (Karol Bagh):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अधोहस्ताक्षरी द्वारा पर्यावरण विभाग को लिखे गए निम्नलिखित पत्रों पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण प्रदान करें?

पत्र संख्या नं. — 130113 / 21 / 10 / 2025 Dated — 21/10/2025

पत्र संख्या नं. — 1030107 / 30 / 9 / 2025 Dated — 30/9/2025

पत्र संख्या नं. — 129947 / 8 / 9 / 2025 Dated — 8/9/2025

पत्र संख्या नं. — 129942 / 6 / 9 / 2025 Dated — 6/9/2025

पत्र संख्या नं. — 129849 / 13 / 8 / 2025 Dated — 13/8/2025 ?

पर्यावरण

136 Dr. Ajay Dutt (Ambedkar Nagar):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सिटी फॉरेस्ट हौजरानी में नीलगाय जैसे वन्यजीवों को रखे जाने के क्या कारण है, जबकि इनसे सैर करने वाले हज़ारों नागरिकों की सुरक्षा को खतरा बना रहता है;

(ख) यहाँ कितने कर्मचारी ठेके/अनुबंध पर कार्यरत हैं, उन्हें कितनी तनखाह दी जा रही है और भुगतान का माध्यम क्या है, पिछले 3 साल का उनके पद के नाम के साथ उनके नाम का विवरण दे;

(ग) यहाँ के रखरखाव के लिए पिछले 3 वर्षों में किन-किन कंपनियों को ठेका दिया गया है? कंपनियों का पूरा विवरण दें;

(घ) क्या कार्यरत कर्मचारियों को PF, ESI और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएँ मिल रही हैं;

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) पिछले 3 वर्षों में इस पार्क के लिए कितना फंड जारी हुआ और भविष्य में किस कार्य के लिए कितना बजट प्रस्तावित है?

दिल्ली में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण एवं सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर सख्त कार्रवाई से संबंधित विषय

137 Mr. Surya Prakash Khatri (Timarpur):

Environment Forest & Wild life:-

क्या माननीय पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि प्लास्टिक का अत्यधिक इस्तेमाल प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनकर दिल्ली की पुरानी सीवर एवं नाला व्यवस्था पर भारी दबाव डाल रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि प्लास्टिक कचरा नालों के माध्यम से यमुना नदी में

पहुंचकर पूरे जलीय परिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाता है;

(ग) प्लास्टिक कचरे के स्रोत पर ही नियंत्रण लगाने, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने तथा नागरिकों को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान चलाने पर सरकार क्या विचार कर रही है; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए तथा प्रस्तावित कदमों की विस्तृत जानकारी दें?

मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में आबकारी योजना के नियम को ध्यान में न रखते हुए शराब के ठेके आबंटित किए गए थे

138 Sh. Mohan Singh Bisht (Mustafabad):

Excise:-

क्या माननीय मुख्यामंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) में आबकारी योजना के नियम को ध्यान में न रखते हुए शराब के ठेके आबंटित किए गए थे;

(ख) यदि हां तो पूर्ण विवरण दें;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि हरिजन बस्ती व विद्यालयों को ध्यान में न रखते हुए 40 से 45 फुट चौड़ी सड़क पर शराब की दुकानें खोली गई हैं;

(घ) यदि हां तो पूर्ण विवरण दें;

(ङ.) क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर मुख्य रोड पर अधिकांश रोड पर उपरोक्त ठेकों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है;

(च) यदि हां, तो दिल्ली सरकार के पास इन ठेकों को हस्तांतरित करने की कोई योजना प्रस्तावित है;

(छ) यदि हां तो कब तक; और

(ज) यदि नहीं तो क्यों नहीं, पूर्ण विवरण दें?

आबकारी

139 Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar):

Excise:-

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दिल्ली में खुले में गुटखा, सिगरेट, अन्य तंबाकू उत्पादों तथा शराब के सेवन एवं बिक्री करने पर Cigarettes and Other Tobacco Products Act, 2003 और Delhi Excise Act, 2009 के तहत क्या कार्यवाही की जाती है, कृपया इससे संबंधित नियमों, अधिनियमों तथा दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली की नीति/कानून के अनुसार किसी भी शैक्षणिक संस्था एवं धार्मिक संस्था के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, तंबाकू उत्पादों या शराब की बिक्री अथवा सेवन दंडनीय अपराध है;

(ग) यदि हाँ, तो इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों, दंड का प्रावधान तथा लागू नियमों का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि नीति/कानून के बावजूद दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में सिगरेट, गुटखा, तंबाकू एवं शराब की बिक्री की जा रही है;

(ङ.) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में इस संबंध में विभाग को प्राप्त शिकायतों की संख्या, तथा उन पर की गई कार्रवाई का वर्षवार विस्तृत विवरण दिया जाए;

(च) क्या विभाग द्वारा स्वयं के स्तर पर किसी सर्वेक्षण, निरीक्षण या विशेष अभियान के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि शैक्षणिक एवं धार्मिक संस्थानों के आसपास सिगरेट, गुटखा, तंबाकू अथवा शराब की बिक्री या सेवन न हो;

(छ) यदि हाँ, तो ऐसे सर्वेक्षण/अभियानों की प्रक्रिया, आवृत्ति एवं प्राप्त निष्कर्षों का विवरण दिया जाए; और

(ज) नीति के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा जोनवार किन अधिकारियों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है, कृपया जोनवार संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण की सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि नागरिक ऐसे अवैध कृत्यों की शिकायत दर्ज करा सकें ?

खाद्य एवं आपूर्ति

140 Sh. Harish Khurana (Moti Nagar):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2015 से अब तक दिल्ली में कुल मौजूद राशनकार्डों की संख्या क्या है;
- (ख) वर्ष 2015 से अब तक जो राशनकार्ड जाली, डुप्लीकेट, घोस्ट अथवा ग़लत रहे हैं, उनकी कुल संख्या;
- (ग) जाली या ग़लत राशनकार्डों की पहचान के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने उपाय जैसे आधार से संबद्ध ई-केवाईसी सत्यापन, ई-पीओएस मशीनों के द्वारा बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, घर-घर जाकर सत्यापन अभियान, अन्य सरकारी डेटाबेस के साथ आंकड़ों का मिलान एवं इनके अतिरिक्त भी अन्य उपायों का विवरण प्रदान करें;
- (घ) उक्त अवधि के दौरान जाली या ग़लत राशनकार्डों के चिह्नीकरण, सत्यापन व रद्दीकरण हेतु सरकार द्वारा जारी आदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं अथवा दिशा-निर्देशों की प्रतियां उपलब्ध कराएं;
- (ङ) इसी अवधि के दौरान जितने राशनकार्डों को सत्यापन के बाद रद्द किया गया, उनकी सूची व उनको रद्द करने के कारण;
- (च) क्या उक्त अवधि के दौरा जाली और ग़लत राशनकार्ड जारी करने या अपात्र व्यक्तियों को लाभान्वितों के रूप में जोड़े जाने के लिए कोई एफआईआर दर्ज कराई गई या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई;
- (छ) यदि हां, तो ऐसे मामलों की संख्या, एफआईआर की तिथि व कुल संख्या तथा प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति से अवगत कराएं; और
- (ज) दिल्ली में राशनकार्ड जारी किए जाने संबंधी अनियमितताओं के संबंध में जो ऑडिट रिपोर्ट, आंतरिक रिव्यू नोट्स या समिति के निर्देश हों, तो उनकी प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं?

खाद्य एवं आपूर्ति

141 Mr. Anil Jha (Kirari):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा की अनुमानित आबादी लगभग 9 लाख है, जबकि वर्तमान में क्षेत्र में केवल लगभग 50,000 राशन कार्ड ही जारी हैं, जिनसे मात्र करीब 2.5 लाख लाभार्थी ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत आच्छादित हो पा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभा की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, इसके बावजूद बड़ी संख्या में पात्र परिवारों के नए राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा में लगभग 10,000 राशन कार्ड आवेदन लंबित (पेंडिंग) पड़े हुए हैं? यदि हाँ, तो इन आवेदनों के निस्तारण में हो रही देरी के लिए कौन-कौन से कारण जिम्मेदार हैं तथा इन्हें कब तक स्वीकृत किया जाएगा;

(ङ.) क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभा में आबादी एवं लाभार्थियों की संख्या की तुलना में उचित मूल्य (राशन) दुकानों की संख्या अत्यंत कम है, जिसके कारण अधिकांश दुकानों पर अत्यधिक भीड़ बनी रहती है और लाभार्थियों को घंटों कतार में लगकर परेशान होना पड़ता है;

(च) क्या सरकार किराड़ी विधानसभा में आबादी के अनुपात में राशन कार्डों की संख्या बढ़ाने, लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने तथा नई उचित मूल्य दुकानों की स्वीकृति/स्थापना हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर रही है; और

(छ) यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं संभावित समय-सीमा क्या है?

PDS in kasturba nagar

142 Sh. Neeraj Basoya (Kasturba Nagar):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल कितने राशन कार्ड धारक/लाभार्थी पंजीकृत हैं, श्रेणीवार (AAY, PHH आदि) विवरण सहित जानकारी दे;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र में कितने नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं;

(ग) केवाईसी (KYC) प्रक्रिया के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य होने के कारण, कुष्ठ रोग (Leprosy) से पीड़ित व्यक्तियों, जिनकी उंगलियां या हाथ विकृत हैं, को केवाईसी पूर्ण करने में आ रही कठिनाइयों के समाधान हेतु विभाग द्वारा क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं;

(घ) क्या ऐसे मामलों में वैकल्पिक केवाईसी व्यवस्था (जैसे आईरिस स्कैन, ओटीपी, मैनुअल सत्यापन आदि) लागू की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है, और कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक कितने लाभार्थियों को इसका लाभ दिया गया है?

खाद्य एवं आपूर्ति

143 Sh. Sandeep Sehrawat (Matiala):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी राशन की दुकानें संचालित हैं; सूची एवं क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध कराया जाए;

(ख) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में राशन कार्ड की संख्या कितनी है तथा कितने पात्र परिवार अभी भी इस लाभ से वंचित हैं तथा राशन की कितनी दुकानें प्रस्तावित है; और

(ग) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में नए राशन कार्ड एवं लंबित राशन कार्ड आवेदनों की क्या स्थिति है ?

Regarding Providing Free Cylinders on Holi and Diwali

144 Ms. Atishi (Kalkaji):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होली और दीवाली के अवसर पर निःशुल्क अथवा रु.500 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी अधिसूचना, कैबिनेट निर्णय अथवा विभागीय आदेश की प्रति व योजना के कार्यान्वयन किए जाने की तिथि की जानकारी उपलब्ध कराएं;

(ग) यदि ऐसी कोई योजना लागू नहीं की गई है तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं, क्या सरकार ने इसे लागू किए जाने के लिए कोई समयावधि निर्धारित की है, यदि हां तो

एतद्संबंधी संपूर्ण विवरण दें; और

(घ) उक्त प्रस्तावित योजना से लाभान्वित होने वाले लक्षित परिवारों की संख्या क्या है, इससे लाभान्वित होने के लिए क्या मानदंड हैं, और इस योजना के लिए कुल बजटीय आवंटन राशि कितनी है?

खाद्य एवं आपूर्ति

145 Sh. Mohan Singh Bisht (Mustafabad):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुस्तफाबाद विधान सभा क्षेत्र (एसी-69) के अन्तर्गत वर्ष 2015 से अब तक कुल कितने राशन कार्ड बनाये गए उनका पूर्ण विवरण दें,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विभाग द्वारा विगत वर्षों में राशन कार्ड व यूनिट के संबंध में आवेदन आज तक विधाराधीन हैं;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक नये राशन कार्ड बना दिए जाएंगे इसका पूर्ण विवरण दें; और

(घ) जो लोग अन्य प्रदेशों में चले गए उनकी संख्या क्या है अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी है ऐसे राशन कार्ड धारकों के एवज में नये कार्ड कब तक जारी कर दिए जाएंगे?

खाद्य एवं आपूर्ति

146 Sh. Satish Upadhyay (Malviya Nagar):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधानसभा क्षेत्रवार दिल्ली में कुल लंबित राशनकार्ड आवेदनों की संख्या क्या है;

(ख) दिल्ली में लंबित राशनकार्ड आवेदनों के निपटान के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं और क्या समयावधि निर्धारित की है;

(ग) मालवीयनगर विधानसभा क्षेत्र में जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर दुकानों के माध्यम से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2025 में विभाग द्वारा राशनकार्डों का 'फील्ड वेरीफिकेशन' व ई-केवाईसी सत्यापन किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में ई-केवाईसी असफल होने के कारण तथा अपात्र लाभान्वितों के कारण रद्द राशनकार्डों की संख्या अलग-अलग बताएं; और

(च) क्या वर्ष 2025 में, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में उचित दर दुकान (एफपीएस) हेतु कोई अस्थाई लाइसेंस भी जारी किया गया था, यदि हां, तो संपूर्ण विवरण दें?

RELATED TO RATION CARD

147 Smt. Neelam Pahalwan (Najafgarh):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नजफ़गढ़ विधानसभा के अंतर्गत कितने राशन डिपो हैं उनकी पूर्ण जानकारी प्रदान करें;

(ख) नजफ़गढ़ विधानसभा में पिछले 10 वर्षों में कितने नए राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन आए हैं व कितने बनाए गए हैं, जानकारी साझा करें; और

(ग) नजफ़गढ़ में वर्तमान समय में कितने राशन कार्ड धारक हैं वर्गीकरण सहित जानकारी प्रदान करने की कृपा करें?

वज़न और माप विभाग के कार्यों से संबंधित

148 Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) दिल्ली में Weights and Measures के नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के संबंध में दिल्ली सरकार की वर्तमान नीति क्या है, इससे संबंधित नियमों, मानकों तथा दिशा-निर्देशों का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ख) दिल्ली में Weights and Measures नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा

ज़ोन-वाइज़ कौन-कौन से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण सहित पूरी जानकारी दी जाए;

(ग) पिछले पाँच वर्षों में Weights and Measures के अंतर्गत विभाग द्वारा किन-किन स्थानों/प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण एवं जाँच की गई है, तिथि-वार एवं स्थान-वार निरीक्षणों का विवरण, कमी/अनियमितता पाई गई या नहीं, तथा जहाँ उल्लंघन पाया गया वहाँ संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(घ) यदि किसी नागरिक को Weights and Measures से संबंधित कोई शिकायत दर्ज करानी हो, तो उसके लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया क्या है, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, संबंधित अधिकारी से संपर्क करने का माध्यम तथा शिकायत निस्तारण की समय-सीमा का विवरण दिया जाए;

(ङ.) दिल्ली में त्योहारों अथवा अधिक बिक्री की अवधि के दौरान वज़न एवं माप से संबंधित धोखाधड़ी रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या विशेष व्यवस्था की जाती है, ऐसे समय में की जाने वाली विशेष जाँच, निरीक्षण व्यवस्था तथा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण दिया जाए; और

(च) पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में Weights and Measures Department से संबंधित नियुक्त सभी अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं संपर्क विवरण सहित विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए?

Weight & measure

149 Sh. Kailash Gangwal (Madipur):

Food & Supplies:-

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधिक माप-तोल विभाग, माप-तोल उपकरणों की सटीकता किस प्रकार सुनिश्चित करता है;

(ख) क्या यह सत्य है कि अभी भी काफी व्यापारी तराजू वाली पुराना माप प्रयोग में कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि व्यापारियों द्वारा तोलने में विद्युत तराजू का प्रयोग करने के कुछ मामलों में रिमोट से तराजू को कंट्रोल करने के भी मामले प्रकाश में आये हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे मामलों में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से संबंधित

150 Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar):

Gurudwara Elections:-

क्या माननीय गुरुद्वारा चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (Gurudwara Management Committee) के चुनाव कराए जाने के संबंध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है, संबंधित नियमों, प्रक्रिया तथा दिशा-निर्देशों सहित विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ख) उक्त नीति/नियमों के अनुसार गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव कितने समय के अंतराल पर कराए जाने चाहिए, इस संबंध में निर्धारित समय-सीमा का स्पष्ट विवरण दिया जाए;

(ग) दिल्ली में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अंतिम चुनाव कब कराए गए थे, उन चुनावों की तिथि तथा कार्यकाल की अवधि की जानकारी दी जाए;

(घ) नीति के अनुसार अगले गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव किस वर्ष अथवा किस समयावधि में कराए जाने थे, पूर्ण विवरण दें;

(ङ.) क्या यह सत्य है कि नीति के अनुसार निर्धारित समयावधि के बावजूद गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनावों में देरी हो रही है; और

(च) यदि हाँ, तो इस देरी के क्या कारण हैं, तथा अगले चुनाव कराने को लेकर सरकार द्वारा क्या तैयारियाँ की जा रही हैं और चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए?

वर्ष 2025-26 में दिल्ली सरकार के प्रचार-प्रसार बजट, खर्च और संबंधित विवरण के संबंध में जानकारी का अनुरोध

151 Mr. Sanjeev Jha (Burari):

Information and Publicity:-

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) वर्ष 2025-26 के लिए दिल्ली सरकार ने प्रचार-प्रसार के लिए कुल कितना बजट निर्धारित किया था;

(ख) फरवरी 2025 से अब तक इस बजट में से कितनी राशि वास्तविक रूप से खर्च की गई;

(ग) खर्च की गई राशि का विभाग किस प्रकार के प्रचार-प्रसार (टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया, डिजिटल आदि) में उपयोग कर रहा है, इसका विवरण प्रदान किया जाए;

(घ) फरवरी 2025 से अब तक कितनी योजनाओं और अभियानों का प्रचार-प्रसार किया गया और उनके लिए कितनी राशि खर्च हुई; और

(ङ.) प्रचार-प्रसार के खर्च का लेखा-जोखा या रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा?

पर्यटन

152 Mr. Anil Jha (Kirari):

Tourism:-

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा की अनुमानित आबादी लगभग 9 लाख है, किंतु इसके बावजूद इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकसित पर्यटक अथवा सार्वजनिक मनोरंजन स्थल उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यद्यपि किराड़ी विधानसभा में नए पर्यटन स्थल विकसित करने हेतु सीमित भूमि उपलब्ध है, तथापि किराड़ी गाँव, मुबारकपुर गाँव एवं निठारी गाँव में स्थित पारंपरिक तालाबों को यदि संरक्षित एवं विकसित किया जाए तो उन्हें स्थानीय पर्यटन, सार्वजनिक उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से उपयोगी बनाया जा सकता है;

(ग) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त तालाबों पर वर्तमान में भूमि-माफिया/अवैध कब्जाधारियों की नजर बनी हुई है, जिससे इन जलस्रोतों के अस्तित्व पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो अब तक इन तालाबों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि इन तालाबों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन न केवल स्थानीय नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थल उपलब्ध कराएगा, बल्कि भू-जल स्तर सुधार, वर्षा जल संचयन एवं पर्यावरण संतुलन के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा;

(च) क्या सरकार किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के उपर्युक्त तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कर संरक्षित करने, उन्हें जलाशय/हरित क्षेत्र/स्थानीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने तथा इनके रख-रखाव हेतु कोई ठोस एवं समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर रही है; और

(छ) यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं समय-सीमा क्या है?

दिल्ली में पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में।

153 Dr. Anil Goyal (Krishna Nagar):

Tourism:-

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिल्ली सरकार को पर्यटन के माध्यम से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र पर कुल कितना Expenditure किया गया है;

(ख) क्या 'Hop-on Hop-off' (HO-HO) बस सेवा वर्तमान में चल रही है;

(ग) यदि हाँ, तो वर्तमान में कितनी बसें चल रही हैं और उनकी औसत ऑक्युपेंसी क्या है;

(घ) दिल्ली में वर्तमान में किन-किन स्थानों पर 'लाइट एंड साउंड शो' संचालित हैं और क्या आगामी वर्ष में नए शो शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ.) दिल्ली में चल रहे टूरिस्म योजनाओं और Tourist Places का विवरण प्रदान करें?

पर्यटन

154 Dr. Anil Goyal (Krishna Nagar):

Tourism:-

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार द्वारा भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रमों में विधायकों के वाहनों के प्रवेश के लिए गेट नंबर 6 और 7 पर कोई प्रोटोकॉल है; और

(ख) क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को पहचान पत्र दिखाने के बावजूद पार्किंग लेबल के अभाव में रोका जाना नियमों के अनुकूल है?

पर्यटन

155 Mr. Gajender Drall (Mundka):

Tourism:-

क्या माननीय पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों में आज़ाद हिन्द ग्राम की मरम्मत, रख-रखाव एवं सौंदर्यीकरण के लिए कुल कितना बजट स्वीकृत एवं व्यय किया गया है;

(ख) वर्तमान में इस स्थल की मरम्मत एवं पुनर्विकास हेतु विभाग द्वारा क्या योजना प्रस्तावित की गई है; और

(ग) यदि कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है, तो भविष्य में इसके संरक्षण एवं विकास के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

गारमेंट्स पर जीएसटी (GST) दरों की समीक्षा के संबंध में।

156 Dr. Anil Goyal (Krishna Nagar):

Trade and Tax:-

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने ₹2500 से अधिक मूल्य के रेडीमेड गारमेंट्स पर जीएसटी की दर 12% से बढ़ाकर 18% कर दी है;

(ख) क्या सरकार जनहित और व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए, GST Council में ₹2500 से ऊपर के रेडीमेड गारमेंट्स पर कर की दर को पुनः 12% या उससे कम करने के लिए सिफारिश कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार के पास इस विसंगति को दूर करने और स्थानीय व्यापारियों को राहत देने के लिए क्या वैकल्पिक योजना है?

GST

157 Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar):

Finance:-

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) डिजिटल भुगतान (क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड) के माध्यम से लेन-देन के मामलों में Merchant Fee को लेकर RBI द्वारा जारी सभी लागू दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों का विस्तृत विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि अनेक व्यापारी इस मर्चेन्ट फीस को उपभोक्ताओं पर डाल रहे हैं और डिजिटल भुगतान के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूल की जा रही

है;

(ग) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों की सूची, विभागवार/वर्षवार विस्तृत विवरण सहित दी जाए;

(घ) इन प्राप्त शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; प्रति मामले की गई कार्रवाई, चेतावनी, दंड, अथवा अन्य किसी कदम का विवरण दिया जाए;

(ङ) यदि किसी मामले में संबंधित व्यापारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उसके क्या कारण रहे हैं, इसका भी विस्तृत विवरण दिया जाए;

(च) उपभोक्ताओं को डिजिटल भुगतान के दौरान इस प्रकार की वसूली और उत्पीड़न से बचाने के लिए विभाग द्वारा वर्तमान में क्या सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है, तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए क्या ठोस नीति, निगरानी तंत्र या दंडात्मक प्रावधान लागू करने की योजना बनाई जा रही है;

(छ) यदि हाँ, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए;

(ज) क्या वर्तमान में सोलर पैनल एवं उससे संबंधित उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता है;

(झ) यदि हाँ, तो कृपया उसकी विस्तृत जानकारी दें;

(ण) एक ओर नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलर पैनल पर सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि दूसरी ओर उन्हीं सोलर पैनल एवं उससे संबंधित उपकरणों पर GST भी लगाया जाता है, कृपया इस नीति-विरोधाभास (Policy Contradiction) के पीछे के कारणों का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ट) क्या दिल्ली सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) के समक्ष सोलर पैनल एवं उससे संबंधित उपकरणों को GST से छूट देने अथवा कम दर पर लाने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ठ) यदि हाँ तो कृपया प्रपोजल की विस्तृत जानकारी दें?

gst related and tax collection

158 Sh. Sanjay Goyal (Shahdara):

Trade and Tax:-

क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में VAT, SGST/GST एवं Excise के अंतर्गत कुल कितने व्यापारी पंजीकृत हैं कृपया उनका व्यवसाय/उद्योग-वार विवरण (जैसे अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस प्रोवाइडर, मैनुफैक्चरिंग आदि) दिया जाए साथ ही उन्हें Micro, Small, Medium एवं Large श्रेणी के अनुसार वर्गीकृत कर विवरण उपलब्ध कराया जाए;

(ख) शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार को Trade & Taxes Department के माध्यम से प्राप्त कुल राजस्व का वर्षवार, स्रोतवार (VAT, SGST/GST, Excise आदि) तथा विधानसभावार संग्रह का विवरण प्रस्तुत किया जाए;

(ग) क्या विभाग द्वारा शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों के लिए कोई विशेष सहायता केंद्र, हेल्पडेस्क, जागरूकता कार्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शिविर संचालित किए गए हैं;

(घ) यदि हाँ, तो उनके स्थान, तिथि एवं लाभान्वित व्यापारियों की संख्या का विवरण दिया जाए;

(ङ) SGST के अंतर्गत Faceless (ऑनलाइन/बिना प्रत्यक्ष संपर्क) सुविधा किन-किन श्रेणी के व्यापारियों के लिए लागू की गई है;

(च) इस सुविधा के अंतर्गत कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ (जैसे पंजीकरण, रिटर्न, असेसमेंट, नोटिस, अपील आदि) सम्मिलित हैं; और

(छ) इस सुविधा का लाभ उठाने हेतु व्यापारियों को क्या प्रक्रिया एवं शर्तें पूरी करनी होती हैं?

सरकारी जमीन

159 Mr. Karnail Singh (Shakur Basti):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधानसभा क्षेत्र शकुरबस्ती के अंतर्गत कहाँ-कहाँ पर सरकारी जमीन, ग्राम सभा की जमीन खाली पड़ी हुई है, उसका पूरा विवरण दें;

(ख) शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरकार ने उक्त जमीन को कहाँ-कहाँ किस-किस विभाग को किस-किस उद्देश्य के लिए आवंटित किया हुआ है;

(ग) सरकार ने अपनी इन जमीनों की सुरक्षा, रख-रखाव एवं अवैध कब्जों से बचाने के लिए किस-किस भूखंड की चारदीवारी की हुई है तथा शेष भूखंड की चारदीवारी कब तक कर ली जायेगी;

(घ) सरकार उस आवंटित जमीन पर कब तक अपना निर्माण कार्य पूरा कर लेगी;

(ङ.) क्या शकुरबस्ती विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पीतमपुरा के रोड नम्बर 42 पर रबाड़ा होटल के साथ कोई सरकारी भूमि है;

(च) यदि हाँ, तो क्या इस जमीन पर दिल्ली सरकार या केन्द्र सरकार ने कोई निर्माण करवाया हुआ है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या इस सरकारी जमीन पर किसी विशेष समुदाय के लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है; और

(ज) यदि हाँ, तो सरकार इस सरकारी जमीन पर से अवैध निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्रवाई करने जा रही है और इस सरकारी जमीन को कब तक अवैध कब्जे से मुक्त करवा लिया जायेगा?

MCD तह बाजारी और मॉल एवं अस्पताल में पार्किंग से संबंध

160 Sh. Jarnail Singh (Tilak Nagar):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) [] दिल्ली में तहबाजारी लगाने के संबंध में नगर निगम दिल्ली (MCD) की वर्तमान नीति क्या है, कृपया तहबाजारी की अनुमति, अवधि, स्थान चयन, संख्या निर्धारण तथा नवीनीकरण से संबंधित नीति का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ख) वर्तमान में दिल्ली में नगर निगम दिल्ली द्वारा अनुमोदित कितनी तहबाजारी

संचालित की जा रही हैं, तहबाजारी का स्थानवार विवरण, प्रत्येक स्थल पर कुल स्वीकृत रेहडी-पटरी की संख्या, तथा उन्हें किस आधार पर वैध मान्यता प्रदान की गई, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ग) तहबाजारी का संचालन नियमों एवं निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए MCD द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाते हैं, इस संबंध में निगरानी तंत्र, निरीक्षण प्रक्रिया तथा संबंधित अधिकारियों की भूमिका का विस्तृत विवरण दिया जाए;

(घ) पिछले पाँच वर्षों में दिल्ली की विभिन्न तहबाजारियों में नियमों के खुलेआम उल्लंघन से संबंधित MCD को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वर्षवार प्राप्त शिकायतों, तथा उन पर की गई कार्रवाई का तहबाजारीवार विस्तृत विवरण दिया जाए;

(ङ.) क्या यह सत्य है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बावजूद अनेक तहबाजारियों में गैस सिलेंडरों का खुलेआम एवं असुरक्षित उपयोग किया जा रहा है;

(च) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों में ऐसे उपयोग को रोकने के लिए MCD द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं तथा उन कदमों के क्या परिणाम निकले, इसका विस्तृत विवरण दिया जाए;

(छ) [क्या एमसीडी के बायलॉज के अनुसार उसके अधिकार क्षेत्र में बने शॉपिंग मॉल और अस्पतालों के अंदर पार्किंग में भी वाहन खड़े करने पर पार्किंग शुल्क लेने का प्रावधान है;

(ज) [क्या पश्चिमी दिल्ली में सुभाष नगर स्थित पैसिफिक मॉल में पिछले कुछ सालों से पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है;

(झ) [यदि नहीं तो क्या इस पैसिफिक मॉल में आज की तिथि में पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है;

(ण) [यदि हां तो एमसीडी बायलॉज के विरुद्ध जाकर पैसिफिक मॉल को पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति एमसीडी द्वारा दिए जाने के क्या कारण है;

(ट) [इस अनुमति को वापस लेने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और [

(ठ) [एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी शॉपिंग माल और अस्पतालों में खड़े किए जाने वाले वाहनों से पार्किंग शुल्क लेने का क्या प्रावधान है प्रत्येक शॉपिंगमाल और अस्पताल के संदर्भ में अलग-अलग पूर्ण विवरण दें?

Mcd

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में अनेक व्यावसायिक संपत्तियों द्वारा संपत्ति कर के बकाया का भुगतान अब तक नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी संपत्तियों की बकाया राशि और उनका विवरण क्या है;

(ग) क्या इन बकायेदार व्यावसायिक संपत्तियों को विभिन्न अवसरों पर एमसीडी द्वारा संपत्ति कर भुगतान हेतु नोटिस जारी किए गए थे;

(घ) यदि हाँ, तो कितनी संपत्तियों को नोटिस जारी किए गए और इसके पश्चात कितनी संपत्तियों द्वारा अब तक कर भुगतान नहीं किया गया;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि एमसीडी द्वारा संपत्ति कर की वसूली सुनिश्चित करने तथा एमसीडी को राजस्व हानि से बचाने हेतु कर न चुकाने वाली संपत्तियों को कुर्क/सील करने से संबंधित नियम बनाए गए हैं;

(च) यदि हाँ, तो कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र में अब तक ऐसी संपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(छ) उक्त संपत्तियों के विरुद्ध कुर्की/सीलिंग की कार्रवाई कब तक की जाएगी;

(ज) क्या यह भी सत्य है कि कुछ व्यावसायिक संपत्तियों ने एमसीडी एवं कर संग्रह अधिकारियों की मिलीभगत से स्वयं को आवासीय संपत्ति दर्शाकर कर जमा किया, जिससे एमसीडी को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान हुआ;

(झ) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ण) यदि हाँ, तो जांच की वर्तमान स्थिति एवं निष्कर्ष क्या हैं;

(ट) यदि नहीं तो क्या इस गंभीर मामले पर एमसीडी कोई जाँच कराने पर विचार कर रहा है; और

(ठ) यदि हाँ, तो यह जाँच किन अधिकारियों द्वारा और कब तक पूरी कर ली जाएगी?

MLA lad fund

162 Sh. Neeraj Basoya (Kasturba Nagar):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2022—23 एवं 2023—24 के दौरान कस्तूरबा नगर विधानसभा में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (MLALAD) के अंतर्गत कितने कार्यों के लिए कार्यादेश जारी किए गए हैं, प्रत्येक कार्य का विवरण, स्वीकृत राशि, वर्तमान स्थिति तथा पूर्णता की समय-सीमा क्या है;

(ख) उक्त कार्यों के अंतर्गत अब तक किए गए आंशिक अथवा पूर्ण भुगतानों का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि कुछ कार्यों में बिना कार्य पूर्ण हुए अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप कार्य न होने के बावजूद पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान किया गया;

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे कार्यों का विवरण क्या है और इसके लिए कौन अधिकारी/एजेंसी उत्तरदायी है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हाँ, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी जांच गठित करने पर विचार कर रही है?

शहरी विकास

163 Sh. Sandeep Sehrawat (Matiala):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मटियाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले पाँच वर्षों में कितनी धनराशि विभिन्न विकास कार्यों हेतु आवंटित (Allot) की गई है, वर्षवार एवं कार्यवार विवरण दिया जाए;

(ख) I&FC Department द्वारा मटियाला विधानसभा क्षेत्र की अनधिकृत कॉलोनियों के विकास हेतु चालू वित्तीय वर्ष में कितना बजट आवंटित किया गया है; और

(ग) मटियाला विधानसभा क्षेत्र की जिन कॉलोनियों को Urban Development (UD) की श्रेणी से हटाया गया है, उन्हें पुनः शामिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्ययोजना बनाई गई है?

स्ट्रीट डॉग के विषय में

164 श्री मनोज कुमार शौकीन (नांगलोई जाट):

शहरी विकास :-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान में दिल्ली में स्ट्रीट डॉग की सटीक संख्या, उनके टीकाकरण एवं नसबंदी की अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण रेबीज नियंत्रण में कठिनाई आ रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार माइक्रोचिपिंग प्रक्रिया के माध्यम से एक बार पूरी दिल्ली के सभी स्ट्रीट डॉग का डेटा कलेक्शन कर यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि कितने कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी हो चुकी है तथा कितने अभी शेष हैं;

(ग) क्या सरकार इस अभियान को रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), एनिमल वेलफेयर संगठनों एवं डॉग लवर्स के सहयोग से व्यापक जन-जागरूकता एवं कैंपेनिंग कार्यक्रम के रूप में चलाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार रेबीज के मामलों की रिपोर्टिंग हेतु एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी करने पर विचार कर रही है, जिससे नागरिक समय पर सूचना दे सकें; और

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली को “जीरो डेथ रेबीज कैपिटल” बनाने का लक्ष्य घोषित होने के बावजूद दिल्ली में वर्तमान में एक भी समर्पित रेबीज टेस्ट लैब उपलब्ध नहीं है?

Regarding Development Works in Unauthorised Colony

165 Ms. Atishi (Kalkaji):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि चालू वित्त वर्ष में शहरी विकास विभाग द्वारा Unauthorised कॉलोनीयों के विकास हेतु विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों को वित्तीय फण्ड/अनुदान आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो विधानसभा-वार विवरण दिया जाए कि किस क्षेत्र को कितनी राशि स्वीकृत एवं जारी की गई;

(ग) चालू वित्त वर्ष में Unauthorised कॉलोनीयों के विकास से संबंधित कुल कितने

प्रस्ताव शहरी विकास विभाग को प्राप्त हुए, ये प्रस्ताव किन-किन विधानसभा क्षेत्रों से तथा किन-किन विभागों/एजेंसियों के माध्यम से भेजे गए थे;

(घ) प्राप्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, कितने लंबित हैं तथा कितने अस्वीकृत किए गए विधानसभा-वार विवरण दिया जाये; और

(ङ) जिन प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, उनके अंतर्गत किस प्रकार के विकास कार्य (जैसे सड़क, सीवर, जलापूर्ति, ड्रेनेज आदि) स्वीकृत किए गए तथा उनके लिए कितनी राशि स्वीकृत/व्यय की गई, इसका विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाए?

शहरी विकास

166 Mr. Sanjeev Jha (Burari):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के अंतर्गत दिल्ली सरकार तथा दिल्ली नगर निगम को अब तक कितनी कुल धनराशि प्राप्त हुई है, दिल्ली सरकार और MCD को प्राप्त राशि का अलग-अलग विवरण दिया जाए;

(ख) उक्त प्राप्त धनराशि में से दिल्ली सरकार एवं MCD द्वारा अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है तथा कितनी राशि अभी तक अनुपयोगी/अव्ययित पड़ी है—इसका विभागवार विवरण दिया जाए;

(ग) जिन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए NCAP फंड का उपयोग किया जाना था, उनमें से कौन-कौन सी योजनाएँ दिल्ली सरकार एवं MCD स्तर पर अभी तक प्रारंभ नहीं हो सकीं या अधूरी हैं, तथा इसके कारण क्या हैं;

(घ) NCAP फंड के समुचित उपयोग न होने के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुधार पर क्या प्रभाव पड़ा है, विशेष रूप से PM2.5 और PM10 स्तर के संदर्भ में—इस संबंध में सरकार एवं MCD का आकलन क्या है;

(ङ.) क्या यह भी सत्य है कि NCAP के तहत स्वीकृत कई कार्य प्रशासनिक स्वीकृति, टेंडर प्रक्रिया, अंतर-विभागीय समन्वय अथवा निर्णय में देरी के कारण लंबित हैं;

(च) यदि हाँ, तो उसका विवरण दिया जाए; और

(छ) दिल्ली सरकार एवं दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुपयोगी पड़ी NCAP राशि के प्रभावी उपयोग हेतु आगे क्या कार्ययोजना, समयसीमा एवं निगरानी तंत्र निर्धारित किया गया है?

Urban Developement

167 Sh. Kuldeep Kumar (Kondli):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में कुल कितने अनुमोदित/लाइसेंसधारी स्लाटर हाउस (slaughter houses/abattoirs) संचालित हैं और उनकी सूची क्या है, प्रत्येक स्लाटर हाउस का पूरा पता, क्षमता, और लाइसेंस जारी करने वाली प्राधिकारी का विवरण प्रस्तुत करें;

(ख) क्या कोंडली विधानसभा क्षेत्र (Kondli) में कोई मान्यता प्राप्त स्लाटर हाउस है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका नाम, स्थान, संचालन क्षमता और वह किस प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई जाए;

(घ) स्लाटर हाउस के संचालन की जिम्मेदारी किस विभाग/संस्था के पास है, और क्या उसके संचालन के लिए किसी निजी एजेंसी/कॉन्ट्रैक्ट के तहत अनुबंध (contract/PPP) किया गया है;

(ङ.) यदि हाँ, तो संबंधित अनुबंध की कॉपी, उसके कार्यकाल, शुल्क/शर्तें, और निगरानी/जाँच तंत्र के दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएँ;

(च) उपरोक्त स्लाटर हाउस की सभी निरीक्षण रिपोर्ट, लाइसेंस/प्रमाण-पत्र, और अनुपालन दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराई जाएँ; और

(छ) क्या ये स्लाटर हाउस लाइसेंस प्राप्त करने के सभी मानक को पूरा करते हैं?

शहरी विकास

168 Mr. Raj Kumar Bhatia (Adarsh Nagar):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज़ादपुर मंडी में सड़ी-गली सब्जियों के नाले में फेंके जाने के कारण नाले-नालियों के बंद होने की समस्या के लिए तत्काल सर्वेक्षण व सुधारात्मक प्रणाली लागू किए जाने की आवश्यकता नहीं है; और

(ख) उक्त समस्या के कारण क्षेत्र में होने वाले जल-जमाव व गंदगी की समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने जा रही है, विवरण दें?

शहरी विकास

169 Sh. Satish Upadhyay (Malviya Nagar):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण दिल्ली जिले में, विशेषकर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण तथा अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न यातायात जाम के हॉटस्पॉटों की स्थानवार सूची प्रदान करें;

(ख) क्या यह सत्य है कि साकेत स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के आसपास का क्षेत्र, जो श्री अरबिंदो मार्ग से यूसुफ सराय मार्केट तक फैला हुआ है, दक्षिण दिल्ली के सर्वाधिक यातायात जाम व दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों में से एक है, यदि हां तो;

(ग) इस क्षेत्र में यातायात जाम और सड़क सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान हेतु विभाग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में यातायात पुलिस, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी व अन्य संबंधित एजेंसियों के समन्वय से क्या कोई अल्पावधि व दीर्घकालिक योजना बनाई गई है, विवरण दें; और

(घ) क्या यह सत्य है कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री अरबिंदो मार्ग पर एक त्रुटिपूर्ण यू टर्न के कारण न केवल दुर्घटनाएं होती हैं बल्कि यातायात भी गलत दिशा में चला जाता है, इसके लिए यूटर्न को हटाने, उसे नए सिरे से बनाने जैसे क्या सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं?

किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में शहरी विकास कार्यों की दयनीय स्थिति के संबंध में

170 Mr. Anil Jha (Kirari):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि लगभग 9 लाख की जनसंख्या वाली किराड़ी विधानसभा में शहरी विकास से जुड़ी मूलभूत सुविधाएँ अत्यंत अपर्याप्त हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र की अनेक कॉलोनियों में सड़कें, नालियाँ, सीवर लाइनें, फुटपाथ एवं स्ट्रीट लाइटें या तो उपलब्ध नहीं हैं अथवा जर्जर

अवस्था में हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बरसात के मौसम में किराड़ी विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव एवं गंदगी की समस्या गंभीर रूप ले लेती है, जिससे जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) शहरी विकास विभाग द्वारा किराड़ी विधानसभा में पिछले पाँच वर्षों में कितनी विकास परियोजनाएँ स्वीकृत की गईं तथा उनमें से कितनी परियोजनाएँ अब तक पूर्ण, प्रगति पर एवं लंबित हैं;

(ङ.) क्या यह भी सत्य है कि किराड़ी विधानसभा में कई विकास कार्य स्वीकृति के बावजूद प्रारंभ नहीं हुए अथवा अधूरे छोड़ दिए गए हैं;

(च) यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों/एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या किराड़ी विधानसभा को उसकी जनसंख्या एवं आवश्यकताओं के अनुपात में पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) किराड़ी विधानसभा के समग्र विकास हेतु विशेष शहरी विकास योजना / विशेष पैकेज तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हाँ, तो उक्त योजना को लागू किए जाने की समय-सीमा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास

171 Mr. Surya Prakash Khatri (Timarpur):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली नगर निगम में बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा विगत कई वर्षों से उनके रिक्त पदों पर नई भर्तियाँ न होने से सफाई कर्मचारियों की भारी संख्या में कमी है, जिससे सफाई व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकारी ने कोई ठोस एवं समयबद्ध निर्देश जारी किए हैं;

(ग) क्या सरकार की संविदा आधार पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने की कोई योजना है;

(घ) यदि हाँ, तो पूर्ण जानकारी दें; और

(ङ.) सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए एवं प्रस्तावित कदमों का पूर्ण विवरण दें?

शहरी विकास

172 Mr. Ashok Goel (Model Town):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधानसभा में एमसीडी की कई सड़कों पर ड्रेन नहीं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी सड़कों की सूची मुहैया करवाएं;

(ग) इन सड़कों पर बरसात या अन्य समय में बहने वाले पानी से सीवर जाम होने की समस्या से निपटने के लिए विभाग का एक्शन प्लान क्या है;

(घ) क्या इस समस्या को दूर करने के लिए विभाग ने टाइमलाइन के साथ कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो विस्तृत जानकारी मुहैया करवाएं?

शहरी विकास

173 Mr. Ashok Goel (Model Town):

Urban Development:-

क्या माननीय शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जनवरी, 2015 से लेकर अब तक दिल्ली नगर निगम में वार्ड संख्या 67, 68 व 69 में कितने अवैध निर्माण हुए, उसका वर्ष अनुसार जानकारी दें;

(ख) इन अवैध निर्माण में से कितनों को गिराया गया व कितनों को सील किया गया इसकी भी वार्ड अनुसार विस्तृत जानकारी दें;

(ग) सील की गई संपत्तियों में से कितनी संपत्तियों को डी-सील किया गया व किस आधार पर किया उसकी भी जानकारी दें;

(घ) उपरोक्त अवैध निर्माण में कितनों को आंशिक रूप से तोड़ा गया व कितनों को पूर्णता तोड़ा गया इसकी भी जानकारी दें;

(ङ) जिन संपत्तियों पर सील व डिमोलिशन एक्शन हुआ उन्हें पुनः न बनाने देने की जिम्मेदारी किन अधिकारियों की होती है;

(च) क्या सील की गई या डिमोलिश की गई संपत्ति के पुनः निर्माण से संबंधित कोई शिकायत विभाग के पास आई;

(छ) यदि हां, तो उन सभी शिकायतों का विवरण दें कि कितनी सील की गई या डिमोलिस की गई संपत्ति पर दोबारा कंस्ट्रक्शन कर लिया गया;

(ज) क्या यह सत्य है कि डिमोलिश की हुई अवैध संपत्तियों पर पुनः निर्माण की जानकारी होने के बावजूद विभाग द्वारा इसे रोकने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(झ) अवैध संपत्तियों के पुनर्निर्माण के संबंध में विभाग द्वारा दोषी अधिकारियों पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई, वार्षिक जानकारी दें?
